

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:-२२-१२-१७

विषय:-स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या-२० अन्तर्गत मुख्य शीर्ष २२३५-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-६०- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम २०० अन्य कार्यक्रम-००१२-मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष विपत्र कोड-२०-२२३५६०२००००१२ अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१७-२०१८ में ३१-०६ सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा इकाई में कुल ₹३३,०७,००,०००/- (तैतीस करोड़ सात लाख) रुपये मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक शीर्ष/उपशीर्ष अन्तर्गत विभागीय आवंटनादेश सं०-२५(७)ब दिनांक-०७.०६.१७ एवं ५४(७)ब दिनांक-०१.०९.१७ १०८(७)ब दिनांक-११.१२.१७ तथा प्रथम किस्त के राज्यादेश सं०-८८७(१४) दिनांक-०७.०६.१७, द्वितीय किस्त के राज्यादेश संख्या-१३६४(१४) दिनांक-२५.०८.२०१७ एवं राज्यादेश संख्या-१५३२(१४) दिनांक-१५.०९.२०१७ एवं संशोधित पत्र संख्या-१८२७(१४) दिनांक-०६.११.१७ एवं राज्यादेश संख्या-२१४०(१४) दिनांक-१९.१२.२०१७ के क्रम में वित्तीय वर्ष २०१७-२०१८ में ३१-०६ सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा इकाई में कुल ₹३३,०७,००,०००/- (तैतीस करोड़ सात लाख) रुपये मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है।

२. व्यय का वहन वर्तमान वित्तीय वर्ष २०१७-२०१८ में मांग संख्या-२० अन्तर्गत मुख्य शीर्ष २२३५-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-६०- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम २०० अन्य कार्यक्रम-००१२-मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष विपत्र कोड-२०-२२३५६०२००००१२ अन्तर्गत ३१-०६ सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा इकाई में आय-व्यय आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

३. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं० २५६१ वि० (२) दिनांक १७.४.९८, परिपत्र ३२६वि० दिनांक-२.०४.२०१४ तथा २९५वि० दिनांक-०४.०३.१५ तथा बिहार कोषागार संहिता २०११ के प्रावधानों द्वारा विहित प्रक्रियानुसार राशि की निकासी सुनिश्चित की जायेगी।


४. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे। इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी एवं मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के खाते में अंतरित की जायेगी।

५. राशि का व्यय विभागीय राज्यादेश सं०-१५३२(१४) दिनांक-१५.०९.२०१७ एवं संशोधित पत्र संख्या-१८२७(१४) दिनांक-०६.११.१७ एवं राज्यादेश संख्या-२१४०(१४) दिनांक-१९.१२.२०१७ में निहित शर्तों एवं प्रक्रियाओं के अन्तर्गत किया जायेगा।

६. उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय महालेखाकार को भेजना सुनिश्चित किया जाय।

७. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन


२२/१२/१७


(सच्चिदानंद चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव

उपबन्ध एवं आवंटन की स्थिति :-

क्रम	प्राथमिक इकाई एवं कोड	उपबंध	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	31-06 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा	1,00,00,00,000	65,96,50,000	33,07,00,000	99,03,50,000	96,50,000

(तैतीस करोड़ सात लाख)


22/12/17
सरकार के विशेष सचिव
⑨


ज्ञापांक:- 118(7)A

पटना, दिनांक:- 22-12-17

प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ के सचिव/प्रशाखा-7 एवं कार्यवाह सहायक/लेखा शाखा को दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को ज्ञाप सं0-1532(14) दिनांक-15.09.2017 एवं संशोधित पत्र संख्या-1827(14) दिनांक-06.11.17 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि विगत वित्तीय वर्ष का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति प्रशाखा-7 को उपलब्ध करायी जाय।


22/12/17
सरकार के विशेष सचिव
⑨